

### प्रपत्र 3-ख

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 25-ख का उपनियम (1) देखिये)

मान्यता का प्रमाण-पत्र रखने वाले क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता को दिया जायेगा जो उत्तर प्रदेश कर ऐक्ट, 1948 की धारा 4ख की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, कर से मुक्ति या रियायती दर पर कर का दावा कर सकता है।

#### प्रतिपत्र

जारी करने का कार्यालय.....  
जारी करने का दिनांक.....  
विक्रेता व्यापारी का नाम जिसे जारी किया जाय और उसके मान्यता के प्रमाण-पत्र की संख्या.....दिनांक जब से मान्यता का प्रमाण पत्र वैध हो.....  
निर्ममन प्राधिकारी की मुहर  
सेवा में,  
विक्रेता व्यापारी.....  
प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्दिष्ट माल, जिसके लिए मैंने/हमने क्रय आदेश (आर्डर) संख्या.....  
दिनांक.....में आदेश किया था और जिसे बिल/नकदी रसीद संख्या.....  
दिनांक.....के अनुसार आप से क्रय किया है और जो चालान/बीजक संख्या.....  
दिनांक.....के अधीन सप्लाय किया गया है वह विशिष्ट संख्या.....दिनांक.....के अधीन विशिष्ट माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिए है, और उक्त निर्मित माल-धारा 4-ख की उपधारा(2) में अपेक्षित रीति से बेचा जायेगा। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पास मान्यता का प्रमाण पत्र संख्या.....है  
जो मुझे/हमें व्यापार कर अधिकारी.....सर्किल संख्या.....द्वारा दिनांक.....को जारी किया गया था और जो दिनांक.....से प्रभावी है।  
प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम.....  
(पूरा पता).....पर.....नाम.....तथा  
उपाधि(स्टाइल) से व्यापार करता है/करते हैं।  
क्रय किये गये माल का पूरा विवरण  
नाम.....परिमाण.....मूल्य.....वजन.....  
रूपया.....  
दिनांक और प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने वाले  
स्थान व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदस्थिति  
(टिप्पणी- क्रेता व्यापारी द्वारा रख लिया जायेगा)

#### द्वितीय प्रति

जारी करने का कार्यालय.....  
जारी करने का दिनांक.....  
विक्रेता व्यापारी का नाम जिसे जारी किया जाय और उसके मान्यता के प्रमाण-पत्र की संख्या.....दिनांक जब से मान्यता का प्रमाण पत्र वैध हो.....  
निर्ममन प्राधिकारी की मुहर  
सेवा में,  
विक्रेता व्यापारी.....  
प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्दिष्ट माल, जिसके लिए मैंने/हमने क्रय आदेश (आर्डर) संख्या.....  
दिनांक.....में आदेश किया था और जिसे बिल/नकदी रसीद संख्या.....  
दिनांक.....के अनुसार आप से क्रय किया है और जो चालान/बीजक संख्या.....  
दिनांक.....के अधीन सप्लाय किया गया है वह विशिष्ट संख्या.....दिनांक.....के अधीन विशिष्ट माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिए है, और उक्त निर्मित माल-धारा 4-ख की उपधारा(2) में अपेक्षित रीति से बेचा जायेगा। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पास मान्यता का प्रमाण पत्र संख्या.....है  
जो मुझे/हमें व्यापार कर अधिकारी.....सर्किल संख्या.....द्वारा दिनांक.....को जारी किया गया था और जो दिनांक.....से प्रभावी है।  
प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम.....  
(पूरा पता).....पर.....नाम.....तथा  
उपाधि(स्टाइल) से व्यापार करता है/करते हैं।  
क्रय किये गये माल का पूरा विवरण  
नाम.....परिमाण.....मूल्य.....वजन.....  
रूपया.....  
दिनांक और प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने वाले  
स्थान व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदस्थिति  
(टिप्पणी- क्रेता व्यापारी द्वारा रख लिया जायेगा)

#### मूलप्रति

जारी करने का कार्यालय.....  
जारी करने का दिनांक.....  
विक्रेता व्यापारी का नाम जिसे जारी किया जाय और उसके मान्यता के प्रमाण-पत्र की संख्या.....दिनांक जब से मान्यता का प्रमाण पत्र वैध हो.....  
निर्ममन प्राधिकारी की मुहर  
सेवा में,  
विक्रेता व्यापारी.....  
प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्दिष्ट माल, जिसके लिए मैंने/हमने क्रय आदेश (आर्डर) संख्या.....  
दिनांक.....में आदेश किया था और जिसे बिल/नकदी रसीद संख्या.....  
दिनांक.....के अनुसार आप से क्रय किया है और जो चालान/बीजक संख्या.....  
दिनांक.....के अधीन सप्लाय किया गया है वह विशिष्ट संख्या.....दिनांक.....के अधीन विशिष्ट माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिए है, और उक्त निर्मित माल-धारा 4-ख की उपधारा(2) में अपेक्षित रीति से बेचा जायेगा। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पास मान्यता का प्रमाण पत्र संख्या.....है  
जो मुझे/हमें व्यापार कर अधिकारी.....सर्किल संख्या.....द्वारा दिनांक.....को जारी किया गया था और जो दिनांक.....से प्रभावी है।  
प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम.....  
(पूरा पता).....पर.....नाम.....तथा  
उपाधि(स्टाइल) से व्यापार करता है/करते हैं।  
क्रय किये गये माल का पूरा विवरण  
नाम.....परिमाण.....मूल्य.....वजन.....  
रूपया.....  
दिनांक और प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने वाले  
स्थान व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदस्थिति  
(टिप्पणी- क्रेता व्यापारी द्वारा रख लिया जायेगा)